

आदेश

प्रस्तुत अपील "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री परमजीत कुमार (Emp. ID No.- AEN03972), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं०-1559 दिनांक- 28.06.2022 के विरुद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री परमजीत कुमार को सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल द्वारा दी गई है। प्रस्तुत अपील में निर्धारित तिथि- 11.11.2022 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उभयपक्ष उपस्थित। निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा अपीलार्थी के अपील पर अपना मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक- 142 दिनांक- 11.02.2022 द्वारा मुझ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने तथा कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप लगाकर मेरी संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। जिसके आलोक में निदेशालय पत्रांक- 403 दिनांक- 23.02.2022 द्वारा मुझे स्पष्टीकरण की मांग की गई। मैंने दिनांक- 25.02.2022 को स्पष्टीकरण समर्पित किया। जिस पर घृणा एवं द्वेष वश ग्रामीणों द्वारा दिये गये शिकायत पत्र को बिना निष्पक्ष जाँच किये मेरी सेवा मुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया। बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त अनुशंसा एवं मंतव्य के आलोक में "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-8(4)" में वर्णित प्रावधान के तहत निदेशालय ज्ञापांक- 1559 दिनांक- 28.06.2022 द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित मेरे संविदा को रद्द कर दिया गया है।

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना ने अपने प्रतिउत्तर (मंतव्य) में स्पष्ट किया है कि बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक- 142 दिनांक- 11.02.2022 द्वारा श्री परमजीत कुमार (Emp. ID No.- AEN03972), विशेष सर्वेक्षण अमीन के विरुद्ध रैयतों से किस्तवार एवं वरीय पदाधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप है। साथ ही बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी को विशेष सर्वेक्षण कार्यों में दलालों की मदद से रैयतों को धमकाने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए सेवा-मुक्त करने की अनुशंसा की है।

निदेशालय पत्रांक- 403 दिनांक- 23.02.2022 द्वारा श्री कुमार से उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप पर 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी से निदेशालय पत्रांक- 682 दिनांक- 17.03.2022 द्वारा मंतव्य की मांग की गई। बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने पत्रांक- 402 दिनांक- 29.04.2022 द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में अपना मंतव्य निदेशालय को भेजा गया। बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने मंतव्य में उल्लेख किया गया है कि श्री कुमार के द्वारा सर्वेक्षण कार्यों के लिए रैयतों से अवैध वसूली, दलाल के साथ मिलकर रैयतों को धमकाने, वरीय पदाधिकारियों के नाम पर रैयतों से पैसा उगाही करने एवं किस्तवार प्रक्रिया में नक्शा एवं फील्डबुक के साथ मनमानी करते हैं। बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक- 142 दिनांक- 11.02.2022 के द्वारा प्रेषित अनुशंसा एवं संचिका में रक्षित सभी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार द्वारा किया गया कृत्य अपराध है। इस तरह के कृत्य पुनरावृत्ति अन्य कर्मियों द्वारा न की जाय के दृष्टिगत रखते हुए श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया तथा उक्त के आलोक में "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-8(4)" में वर्णित प्रावधान के तहत श्री परमजीत कुमार (Emp. ID No.- AEN03972), विशेष सर्वेक्षण अमीन का संविदा रद्द किया गया है।

उभयपक्षों को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन ने सर्वेक्षण कार्यों के लिए रैयतों से अवैध वसूली, दलाल के साथ मिलकर रैयतों के धमकाने, वरीय पदाधिकारियों के नाम पर रैयतों से पैसा उगाही करने एवं किस्तवार प्रक्रिया में नक्शा एवं फील्डबुक के साथ मनमानी करने संबंधी आरोप सत्य प्रतीत होता है।

अतः निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश संख्या- 1559 दिनांक- 28.06.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक श्री परमजीत कुमार (Emp. ID No.- AEN03972), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन के अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/-

अपर मुख्य सचिव-सह-
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-75/2022.....4641.....पटना, दिनांक :-16/12/2022

प्रतिलिपि:- श्री परमजीत कुमार (Emp. ID No.- AEN03972), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, रीगा शिविर संख्या-1, बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी, Email-jeparamijitkumar8318@gmail.com, अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण,

बिहार, पटना

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-75/2022.....4641.....पटना, दिनांक :-16/12/2022

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-75/2022.....4641.....पटना, दिनांक :-16/12/2022

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-75/2022.....4641.....पटना, दिनांक :-16/12/2022

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण